

26.10.20

पचावली पैदा। वकील शर्मा उपस्थित ही
प्रकार का बायोपारल अवलोकन एवं मनन
किया। शर्मा जग शर्मा पत्र में अंकित
क्रम, वकील लक्ष्य, वाचिदल अनुलोषादि,
जवाब पेटोकार साकार, शर्मा के द्वारा
अपने शर्मा पत्र के समर्थन में प्रस्तुत
दस्तावेजाल पर सम्यक विचार किया।

बहस विधान अधिवक्ता शर्मा पर
सम्यक मनन किया गया।

विधान अधिवक्ता शर्मा का क्रम है, कि
शर्मागठ के नाम ग्राम बुधवान में के लाली में
शुभि ही शर्मा का सही नाम रतनलाल ही
स्वठ नं. 729/166 वरु मात शौजा बुधवान में
शर्मा का नाम रतनलाल के स्मार पर परल
ली रामलन अंकित कर दिया कि उषभी


उप दफ्तर अधिकारी
रामगंजमंडी

अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|------------|--|--|
| | <p>रामातल दूर्ज कट दिया। अन्य खाता ग्राम बुधावान जिसे प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 650 335 दर्ज है, उसमें नाम सरी थी अता खसरा नम्बर 729/166 श्री शमि पा भी रामातल के ह्मान पर रतनलाल नाम हुकम किया जाये। अपने कसनों के समर्थन के प्रार्थीगण के डाटा नफन जमाबंदी ग्राम बुधावान सम्वत् 2073-2076 खोला नम्बर 206, 204, खेत 2069-72 खोला नम्बर 2, 192, PAN-Coverd Number ALZPL7414K, आधार कार्ड नं. 353599016630, आमादाह कार्ड नं. WDYBOWS, भारत निर्वाचन विभाग के फोटो पहचान पत्र नं. MRR/1225416 जारी दि० 9.6.08 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी, श्री प्रति प्रस्युत श्री गर्दी।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्युत प्रार्थना पत्र में वाँचिदा अनुलोष पर अप्रार्थी को कोई ऐलाज नहीं है। इस प्रकार हमने प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का राजह्मान श-राजह्म अधिनियम 1956 की धारा 136 के सुसंगत प्रावधानों के अनु-सारा में सम्यक विचार किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्युत नफल जमाबंदी स. 2073-76, खोला नम्बर 206 ग्राम बुधावान, 2069-72 का नं. 192 एवं शर्व वीठिल राजकीय इम्लावेपाल में उलका नाम रामातल ही दर्ज है। खसरा नम्बर 335 व 650 श्री शमि पा परल रामातल लमा बाद में रामातल दूर्ज कट दिया गया है, जिले हुकम नल पर शमि के हिलवहू पसनाली</p> | |


 उप खण्ड अधिकारी
 रामगंजमंडी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

को कोर्ट आपत्ति नहीं है।

प्रकार के गुणावगुण पर सम्पूर्ण विचार
किया। सहमति एवं गुणावगुण के आधार
पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना
उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार
किया जाऊ यह आदेश दिया जाता है,
कि मौजा बुधावान की आराजी खसरा नं०
729/166 (क) 1.65 हेक्टर पर रामलाल
के स्थान पर बलनलाल दर्ज किया जावे।
राज्य स्व रिकार्ड में अमल दाखल हो।

पश्चात्तः श्री निर्णय में गठना की
जाऊ प्रिविएट लेव भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे
द्वारा लिखाया जाऊ विवृत आयात में पुनः

रु. खण्ड अधिकारी
(देसायमंडल)
I.A.S.